न्यायालय उपजिला कलक्टर अनूपगढ़, जिला श्रीगंगागनर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—सुरेश राव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः—36 / 2025

जी.सी.एम.एस नं.—2025 / 111

सरोज पुत्री चिमनाराम पत्नी नरसीराम जाति मेघवाल निवासी चक 2 एम एल डी पुरानी मण्डी घड़साना तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर (राज.)

——— प्रार्थीया

बनाम्

1. चिमनाराम पुत्र गोविन्दराम जाति मेघवाल निवासी चक 3 जे एस जोहडी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगागनर (राज.)
2. चेतनराम पुत्र चिमनाराम जाति मेघवाल निवासी चक 3 जे एस डी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगागनर (राज.)
3. कालुराम पुत्र चिमनाराम जाति मेघवाल निवासी चक 3 जे एस डी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.)
4. उप पंजीयक, अनूपगढ़ तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

———— अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट</u>

वकील उपस्थित—

1. श्री मूलाराम जागू एडवोकेट प्रार्थीया की ओर से
2. श्री पवन कुमार अरोड़ा एडवोकेट अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 की ओर से

कार्यालय उप जिला कलक्टर जिला श्रीगंगानगर

—:: निर्णय ::— **दिनांकः—30/04/26**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी सं.—1 के नाम से तहसील अनूपगढ़ के चक 9 पी का मुरब्बा नं.—29 पत्थर सं.—160 / 45 के किला नम्बर 1 ता 5 प्रत्येक में 0.253 हैक्टर कुल 1.265 हैक्टर कमाण्ड व इसी मुरब्बा नं.—29 पत्थर सं.—160 / 45 का किला नं.—6 ता 10 प्रत्येक में 0.253 हैक्टर कुल 1.265 हैक्टर कमाण्ड कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज थी जिसे आयंदा वाद पत्र में विवादित भूमि कहा जाऐगा। जमाबंदी की प्रति संलग्न वाद पत्र है। अप्रार्थी सं.—1 प्रार्थीया का पिता है प्रार्थीया एवं अप्रार्थी सं.—1 सयुक्त हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्य है वाद पत्र में दर्ज कृषि भूमि सयुंक्त परिवार के मुखियाकर्ता की हैसियत से अप्रार्थी सं.—1 के [illegible] इस प्रकार उक्त विवादित कृषि भूमि सयुक्तं परिवार की अवि[illegible] एवं सहदायिकी सम्पति है जिसमें प्रार्थीया का जन्म से ही हित निहित है। [illegible] जो कि अप्रार्थी सं.—1 की पुत्री है। अप्रार्थी सं.—1 के दो पुत्रीया प्रार्थीया [illegible] व दो पुत्र चेतनराम व कालूराम है प्रार्थीया के [illegible] चक 3 जे एस डी तहसील श्रीविजयनगर का मुरब्बा नं.—131 / 363, 126 / 368, 124 / 360 की कुल 5.832 हैक्टर कृषि भूमि थी प्रार्थीया के दादा गोविन्दराम के देहान्त के उपरांत उनके नाम की उक्त कृषि भूमि अप्रार्थी सं.—1 व अन्य वारिसान को विरास्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.04.30 17:03:20 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

में प्राप्त हुई थी जो प्रार्थीया की पैतृक एवं सहदायिकी सम्पति थी जिसमें प्रार्थीया का भी जन्म से ही हित निहित था तत्पश्चात प्रार्थीया के दादा गोविन्दराम के नाम की चक 3 जे एस डी तहसील श्रीविजयनगर की पुश्तैनी सम्पति को बैचान कर व उससे प्राप्त प्रतिफल राशि से अप्रार्थी सं.–1 ने तहसील अनूपगढ़ के चक 9 पी की उक्त विवादित कृषि भूमि अपने नाम से खरीद की गई थी जो अप्रार्थी सं.–1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है इस प्रकार अप्रार्थी सं.–1 के नाम की वाद पत्र में दर्ज कृषि भूमि स्वअर्जित सम्पति ना होकर पैतृक सम्पति है चूंकि विवादित कृषि भूमि पैतृक सम्पति को बैचान कर व उससे प्राप्त प्रतिफल से खरीद की गई होने से उक्त विवादित भूमि सयुक्तं हिन्दू खानदान की अविभाजित पैतृक सम्पति है जो कि सहदायिक सम्पति है। जिसमें प्रार्थीगण का जन्म से ही हित निहित है फलस्वरूप प्रार्थीगण विवादित कृषि भूमि के सहदायी एवं अशधारी है। विवादित भूमि जो कि सयुक्तं परिवार की सम्पति है जिसमें प्रार्थी या का हित निहित है, जो शुरू से ही प्रार्थीया के अप्राथी सं.–1 के साथ सयुक्त अधिकार एवं अधिपत्य में चली आ रही है तथा उक्त विवादित कृषि भूमि की आमदन से प्रार्थीया एवं अप्रार्थी सं.–1 व परिवार के अन्य सदस्य अपना जीवन निर्वाह करते आ रहे है तथा अप्रार्थी सं.–1 द्वारा पूर्व में परिवारिक व्यवस्था बनाये रखने के उदेश्य से अपनी तहसील अनूपगढ़ व तहसील श्रीविजयनगर की उक्त विवादित कृषि भूमि को पांच हिस्सो में विभक्त करके हुऐ अपने व अपनी चारो पुत्र पुत्रीयों में मौखिक पारिवारिक बंटवारा में बांट दी थी तथा उक्त बटवारा में से 1/5 हिस्सा भूमि अप्रार्थी सं.–1 ने अपने स्वयं के लिए अपने पास रख कर शेष भूमि अपने चारो पुत्र पुत्रीयों में 1/5 हिस्सा के रूप में बांट थी जिसमें प्रार्थीया को 1/5 हिस्सा भुमि परिवारिक मौखिक समझौता के तहत प्रार्थीया को बांटकर दे दी जो तब से ही प्रार्थीया के सयुक्त अधि कार एवं अधिपत्य में चली आ रही है तथा विवादित भूमि में से 1/5 हिस्सा के सम्बध में प्रार्थीया में समस्त प्रकार के हक अधिकार व अधिपत्य निहित हो चुके है। यह कि प्रार्थीया ने अप्रार्थी सं.–1 को कई बार कहा कि वह प्रार्थीया के नाम से विवादित कृषि भूमि में 1/5 हिस्सा भुमि परिवारिक मौखिक समझौता के तहत प्रार्थीया को बांटकर दी गई है। इसलिऐ उक्त परिवारिक समझौता की पालना में उनके नाम का अंकन राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवें ताकि अपने–अपने हिस्सा में काश्त आदि को लेकर किसी प्रकार का कोई तनाव तकाजा ना रहे और अपने अपने हिस्सा को समुचित रूप से काश्त एवं सिंचित कर सके तो अप्रार्थी सं.–1 शीघ्र ही ऐसा करवाने का आश्वासन देकर टालमटोल करता रहा। अप्रार्थी सं.–1 जो कि अप्रार्थी से 2 व 3 के अनुचित प्रभाव में है तथा अब प्रार्थी को अरसा 10 दिन पूर्व यह ज्ञात हुआ कि अप्रार्थी सं.–2 व 3 ने अप्रार्थी सं.–1 को अपने अनुचित प्रभाव में लेकर प्रार्थीया को मृतक सम्पति में प्राप्त हुऐ हक अधिकारो से वंचित करने के दुर्भावनापूर्वक उदेश्य से अप्रार्थी सं.–1 के नाम की वाद पत्र में दर्ज कृषि भूमि में चक 9 पी तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–29 पत्थर स.–160 [illegible]ला नम्बर 1 ता 5 प्रत्येक में 0.253 हैक्टर कुल 1.265 हैक्टर कमाण्ड [illegible] दिनांक 14.03.2024 को अप्रार्थी सं.–2 ने अपने पक्ष[illegible] व इसी मुरब्बा नं[illegible] पत्थर सं. 160/45 का किला नं.–6 ता 10 प्रत्येक [illegible] 0.253 हैक्टर कुल 1.265 हैक्टर कमाण्ड कृषि भूमि दान पत्र दिनांक 14.03.2024 को अप्रार्थी सं.–3 [illegible] अपने पक्ष में निष्पादित कर पंजीकृत करवा लिये इस प्रकार अप्रार्थी सं.–1 द्वारा पैतृक एवं सहदायिकी सम्पति का अप्रार्थी सं.–2 व 3 के पक्ष में करवाये गये दस्तावेजात दान पत्र दिनांकित 14.03.2024 आरम्भ से प्रभाव शून्य व विधि विरूद्ध व प्रार्थीया के हक

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.04.30 17:03:20 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

अधिकारो के प्रति निष्प्रभावी दस्तावेज है। दस्तावेजात दान पत्र दिनांकित 14.03.2024 के अन्तर्गत उक्त विवादित भूमि का अन्तरण अप्रार्थी सं.–1 द्वारा अप्रार्थी सं.–2 व 3 को किया गया दर्शाया है जबकि अप्रार्थी सं.–1 विवादित भूमि जरिये दान पत्र अप्रार्थी सं.–2 व 3 को अन्तरण करने का सक्षम नही था। क्योकिं विवादित भूमि पैतृक व सहदायिकी सम्पति थी इसलिऐ अप्रार्थी सं.–1 पैतृक कृषि भूमि अपने हिस्सा से अधि एक की भूमि का अप्रार्थी सं.–2 व 3 को अन्तरित नहीं कर सकता था। इस प्रकार पैतृक सम्पति का करवाया गया दान पत्र दिनांक 14.03.2024 आरम्भ से प्रभावहीन, प्रभाव शुन्य व विधि विरूद्ध है। दान पत्र दिनांक 14.03.2024 से प्रभावित उक्त विवादित कृषि भूमि प्रार्थी की पैतृक सम्पति है जिसमें प्रार्थीया का जन्म से ही हक व हिस्सा निहित है तथा अप्रार्थी सं.–1 द्वारा पूर्व में परिवारिक व्यवस्था बनाये रखने के उदेश्य से अपनी तहसील अनूपगढ़ व तहसील श्रीविजयनगर की उक्त विवादित कृषि भूमि को पांच हिस्सो में विभक्त करके हुऐ अपने व अपनी चारो पुत्र पुत्रीयों में मौखिक पारिवारिक बटवारा में बांट दी थी तथा उक्त बटवारा में से 1/5 हिस्सा भूमि अप्रार्थी सं.–1 ने अपने स्वयं के लिए अपने पास रख कर शेष भूमि अपने चारो पुत्र पुत्रीयों में 1/5 हिस्सा के रूप में बांट थी जिसमें प्रार्थीया को 1/5 हिस्सा भूमि परिवारिक मौखिक समझौता के तहत प्रार्थीया को बांटकर दे दी जो तब से ही प्रार्थीया के सयुक्तं अधिकार एवं अधिपत्य में चली आ रही है इस प्रकार कानूनन अप्रार्थी सं.–1 अपने 1/5 हिस्सा से अधिक कृषि भूमि का अन्तरण करने में अप्रार्थी सं.–1 सक्षम ही नही था ऐसी स्थिति में भी तथाकथित दोनो दान पत्र दिनांक 14.03.2024 आरम्भ से शुन्य दस्तावेज है तथा उक्त तथाकथित दान पत्रो से अप्रार्थी सं.–2 व 3 को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होते। दान पत्र के तहत अप्रार्थी सं.–2 व 3 को दान पत्र में वर्णित विवादित कृषि भूमि का कब्जा प्राप्त नही हुआ है। कथित दान पत्र में अप्रार्थी सं.–1 कब्जा देने सम्बधी कथन नुमाईशी अकिंत करवाया गया है। इसके अलावा कथित दान पत्र में दान देना व वान लेना के तथ्य नुमाईशी है ऐसी स्थिति में भी तथाकथित दान पत्र आरम्भ शुन्य एंव विधि विरूद्ध दस्तावेज है। उक्त दान पत्र के आधार पर राजस्व रिकार्ड में भी अपने नाम अंकन करवा लिया इस प्रकार अप्रार्थी सं.–2 द्वारा तथाकथित वान पत्र के आधार पर अपने नाम दर्ज करवाया गया इन्तकाल सं.–289 दिनांक 04.04.2024 एवं अप्रार्थी सं.–3 द्वारा तथाकथित दान पत्र के आधार पर अपने नाम दर्ज करवाया गया इन्तकाल सं.–290 दिनांक 04.04.2024 भी विधिविरूद्ध एवं शुन्य है। प्रार्थी को अप्रार्थी सं.–2 व 3 के पक्ष में हुऐ दान पत्र का ज्ञान होने पर आज हिस्सा हित निहित है इसलिऐ अप्रार्थी सं.–1 द्वारा अप्रार्थी सं.–2 व 3 के पक्ष में जो दान पत्र दिनांक 14.03.2024 निष्पादित कर पंजीकृत करवाये है उन्हे आरम्भ से प्रभावशून्य मानते हुऐ विवादित भूमि में से 1/5 हिस्सा का प्रार्थीया के साफ इंकार हो गये और अप्रार्थी सं.–1 ता 3 [illegible] को कोई हिस्सा नहीं देगें और ना ही प्रार्थीया का कोई [illegible] बल्कि अप्रार्थी सं.–1 ने अप्रार्थी सं.–2 व 3 को दान [illegible] आधार पर अप्रार्थी सं.–2 व 3 के पक्ष में इन्तकाल दर्ज हो गया है [illegible] अप्रार्थी सं.–2 व 3 शीघ्र ही विवादित कृषि भूमि अन्यत्र [illegible] प्रार्थीया को उसके हक व नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का कहा तो [illegible] सं.–1 ता 3 ऐसा करने से हिस्सा से पूर्णतया बेदखल कर देगें। अप्रार्थी सं.–1 के नाम दर्ज विवादित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की पैतृक एवं सहदायिकी सम्पति होने के कारण प्रार्थीया का हित निहित है। तथा अप्रार्थी सं.–1 के द्वारा विवादित कृषि भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.04.30 17:03:20 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

में 1/5 हिस्सा भूमि पारिवारिक मौखिक समझौता/बंटवारा के तहत वाद पत्र में दर्ज कृषि भूमि प्रार्थीया को प्रदत की जा चुकी थी और इसी अनुरुप प्रार्थीया को अधिकार एवं अधिपत्य चला आ रहा है तथा विवादित भूमि में समस्त प्रकार के हक अधिकार एवं स्वामित्व प्रार्थीया में निहित हो चुके है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि ताफैसला मूल वाद अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि अप्रार्थी सं.–1 प्रार्थना पत्र की में दर्ज विवादित कृषि भूमि तहसील अनूपगढ़ के चक 9 पी का मुरब्बा नं.–29 पत्थर सं.–160/45 के किला नम्बर 1 ता 5 प्रत्येक में 0.253 हैक्टर कुल 1.265 हैक्टर कमाण्ड व इसी मुरब्बा नं.–29 पत्थर सं.–160/45 का किला नं.–6 ता 10 प्रत्येक में 0.253 हैक्टर कुल 1.265 हैक्टर कमाण्ड कृषि भूमि में बिना प्रार्थीया के अधिकारो की घोषणा करवाये किसी भी तरीके से अन्यंत्र हस्तान्तरित, रहन, बैय, दान करने से निषिद्ध रहे तथा अप्रार्थीगण मौका एवं रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं.–1 ता 3 की तरफ से अधिवक्ता श्री पवन कुमार अरोड़ा ने उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निववेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि अप्रार्थी सं.–1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में होने के तथ्य रिकार्ड के तथ्य है। लेकिन उपरोक्त कृषि भूमि अप्रार्थी सं.–1 द्वारा आप्रार्थी सं.–2 व 3 को पृथक पृथक पंजीकृत दान पत्रो के जरिए अप्रार्थी सं.–2 को मुरब्बा नं.–29 प.सं. 160/45 के कि.नं.–1 ता 5 की 1.265 हैक्टर दिनांक 14.03.2024 को व अप्रार्थी सं.–3 को मुरब्बा नं.–29 प.सं.–160/45 के कि.नं.–6 ता 10 की 1.265 हैक्टर दिनांक 14.03.2024 को दान कर दी है। अप्रार्थी सं.–1 का प्रार्थीया का पिता होना सही है व अप्रार्थी सं.–1 के तीन पुत्र व पांच पुत्रीयां होना सही है अप्रार्थी सं.–1 के नाम से रिकार्ड में दर्ज होने के तथ्य है रिकार्ड के तथ्य है उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं.–1 की स्वअर्जित कृषि भूमि थी ऐसी स्थिति में उक्त कृषि भूमि पैतृक सम्पति नहीं है ना ही प्रार्थीया का इसमें कोई हित निहित है। अप्रार्थी सं.–1 की पुत्री है तथा अप्रार्थी सं.–1 के दो पुत्र दो पुत्रीयां है स्वीकार है लेकिन उक्त कृषि भूमि प्रार्थीया की पैतृक एवं सहदायिकी सम्पति नहीं है और ना ही अप्रार्थी सं.–1 को उक्त कृषि भूमि विरास्तन या पैतृक सम्पति के रूप में प्राप्त हुई थी और ना ही चक 3 जे एस डी तहसील श्रीविजयनगर की कोई पुश्तैनी सम्पति को बैचान करके व उससे प्राप्त प्रतिफल राशि से चक 9 पी की उक्त कृषि भूमि अप्रार्थी सं.–1 द्वारा खरीद की गई थी बल्कि उक्त कृषि भूमि अप्रार्थी सं.–1 द्वारा अपनी स्वयं की मेहनत व खुन पसीने की कमाई से जरिए पंजीकृत बैयनामाजात दिनांक 11.05.2022 को खरीद की गई थी जो कि अप्रार्थी सं.–1 की स्वअर्जित कृषि भूमि थी ऐसी स्थिती में प्रार्थीया उक्त कृषि भूमि के सहदायी अथवा अंशदारी नहीं है ना ही प्रार्थीया का इसमें कोई निहित है। अप्रार्थी सं.–1 व उसके पुत्र पु[illegible] ना तो कभी कोई पारिवारिक बंटवारा हुआ और ना [illegible] को कथित बंटवारा में 1/5 हिस्सा भूमि बाट कर दी, ना ही प्रार्थीया का [illegible] भूमि के किसी भू भाग पर कब्जा है कथित पारिवारिक बंटवारा के दस्तावेज कहीं अस्तित्व में है ना ही कथित पारिवारिक बंटवारा के सम्बधं में कोई दस[illegible] सबूत प्रस्तुत किया गया है। ना ही प्रार्थीया का कब्जा है। अप्रार्थी सं.–1 द्वारा अप्रार्थी सं.–2 व 3 के पक्ष में स्वेच्छा एवं बिना किसी दबाब के दान पत्र दिनांक 14.03.2024 को निष्पादित कर स्वयं उप पजीयक अनूपगढ़ के समक्ष उपस्थित होकर दान पत्रो

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.04.30 17:03:20 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उप जिला कलक्टर जिला श्रीगंगानगर

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

को सुन समझकर व सही होना मानकर पंजीकृत करवाये है। विवादित भूमि अप्रार्थी सं.–1 की स्वयं अर्जित सम्पति है जिसके सम्बधं में अप्रार्थी सं.–1 को समस्त प्रकार के हक अधिकार प्राप्त थे इन प्राप्त अधिकारो के तहत अप्रार्थी सं.–1 द्वारा विवादित भूमि अप्रार्थी सं.–2 व 3 को जरिए पृथक पृथक पंजीकृत दान पत्र दिनांकित 14.03.2025 को हस्तांतरित कर कब्जा उनके सुपुर्द कर दिया जो कि एक पंजीकृत दस्तावेजात है। प्रार्थीया उक्त पंजीकृत दस्तावेजात को सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त करवाये बिना श्रीमान न्यायालय से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने की विधिक अधिकारी नहीं है ऐसी स्थिति में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में नही होने के कारण विधिद्वारा वर्जित होने से काबिल निरस्ती के है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया श्जावे। खर्चा जबाबदेहीं दिलाया जावे।

न्यायालय द्वारा बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस पर मनन किया गया पत्रावली का सुक्ष्मता से अवलोकन किया। दोनो पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का भी अध्ययन किया। प्रार्थीया के विद्ववान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया। अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिये हमारे समक्ष तीन बिन्दू है। जिन पर न्यायालय का विवेचन इस प्रकार से हैः–

प्रथम दृष्टया प्रकरण :–यह कि प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना–पत्र में वर्णित किया हैं कि वादग्रस्त भूमि संयुक्त परिवार की अविभाजित पैतृक एवं सहदायिकी सम्पति है। जिसमे प्रार्थीया का हित निहित है। प्रार्थीया वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना चाहती हैं तथा अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाना चाहती हैं। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो व दस्तावेजों के अनुसार प्रथम दृष्टया अप्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार हैं प्रार्थीया अप्रार्थीगण के हिस्से पर स्थगन लेना चाहती हैं विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त हैं कि खातेदार काश्तकार को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता और ना ही खातेदार काश्तकार को उसके हिस्से की भूमि का बेचान करने से निर्बन्धित किया जा सकता है। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत बहस के तथ्यों से बल मिलता है। कि विवादित कृषि भूमि अप्रार्थी सं.–1 द्वारा जरिए पंजीकृत बैयनामाजात से खरीद की गई थी जो की अप्रार्थी सं.–1 की स्वयः अर्जित सम्पति थी जिसके सम्बधं में अप्रार्थी सं.–1 को समस्त प्रकार के हक अधिकार प्राप्त थे इन प्राप्त अधिकारो के तहत अप्रार्थी सं.–1 द्वारा विवादित भूमि अप्रार्थी सं.–2 व 3 को जरिए पृथक पृथक पंजीकृत दान पत्र दिनांकित 14.03.2025 को हस्तांतरित कर कब्जा उनके सुपुर्द कर दिया जो कि एक पंजीकृत दस्तावेजात है। प्रार्थीया उक्त पंजीकृत दस्तावेजात को सिविल न्यायालय मे चुनौती दी जा सकती है। राजस्व न्यायालय को पंजीकृत दस्तावेजात को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीया के पक्ष में साबित/सिद्ध नहीं है।

सुविधा का संतुलन:–जहाँ तक सुविधा का संतुलन [illegible] तथ्य प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीया के पक्ष मे सिद्ध नहीं होता हैं ऐसी स्थिति में अगर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेद्याज्ञा जारी की जाती है तो प्रार्थीया के अपेक्षा अप्रार्थीगण को ज्यादा असुविधा होगी तथा अप्रार्थीगण अपनी जमीनों व भूमि उपयोग उपभोग से बाधित व वंचित हो जावेगें एवं अप्रार्थीगण कानून द्वारा प्रदत्त

कार्यालय उप जिला कलक्टर जिला श्रीगंगानगर

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.04.30 17:03:20 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारों से वंचित हो जायेगें। इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में साबित/सिद्ध नहीं है।

अपूर्णीय क्षति:–प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में तय हो चुके है तथा प्रार्थीया अपने पक्ष में दोनो बिन्दू साबित करने में असफल रहे है। अप्रार्थीगण जो कि सह–खातेदार काश्तकार है इस स्थिति में अगर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अप्रार्थीगण अपने कानूनी अधिकारों से वंचित हो जायेगें। जिससे अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। ऐसी स्थिति में अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थीया के पक्ष में साबित/सिद्ध नही है।

–:: आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीया के विरूद्ध तय किये गये है। प्रार्थीया न्यायालय से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के माध्यम से अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र 212 राज.काश्त.अधिनियम खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30/04/26 को सरे इजलास सुनाया गया।

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

कार्यालय उप जिला कलक्टर जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.04.30 17:03:20 IST
Reason: SelfAttested